बिजली चोरी मामलों के तत्काल निपटारे के लिए लोक अदालत 13 व 14 अक्टूबर को

- दक्षिण व पश्चिम दिल्ली के उपभोक्ताओं के लिए खास पेशकश
- दिल्ली लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और बीआरपीएल का आयोजन

नई दिल्लीः 10 अक्टूबर, 2012। बिजली चोरी मामलों के तत्काल निपटारे के लिए बीआरपीएल एक दो–दिवसीय लोक अदालत का आयोजन करने जा रही है। दिल्ली लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के साथ मिलकर इसका आयोजन किया जा रहा है। लोक अदालत का आयोजन 13 और 14 अक्टूबर को जिला अदालत, साकेत में किया जाएगा। सुबह 10 बजे लोक अदालत शुरू हो जाएगी।

इस पेपरलेस लोक अदालत में दक्षिण व पश्चिम दिल्ली के बिजली उपभोक्ताओं से संबंधित बिजली चोरी के मामलों का निपटारा किया जाएगा। अब तक अधिक से अधिक 5 लाख रूपये तक के बिजली चोरी मामलों का निपटारा लोक अदालतों में किया जाता रहा है, लेकिन इस बार ऐसी कोई रकम–सीमा नहीं रखी गई है। बड़े पैमाने पर उपभोक्ताओं को लोक अदालत का लाभ देने के उद्देश्य से ऐसा किया गया है।

कटिया लगाकर की जाने वाले बिजली चोरी और मीटर से छेड़छाड़ कर की जाने वाली बिजली चोरी– यहां दोनों तरह के मामलों का निपटारा किया जाएगा। बीआरपीएल ने इच्छुक उपभोक्ताओं से इस लोक अदालत में शामिल होने की अपील की है। किसी अदालत में पहले से ही लंबित मामले या फिर, किसी भी अदालत में नहीं चल रहे मामले – दोनों तरह के मामलों पर यहां सुनवाई होगी और तत्काल ही फैसले दे दिए जाएंगे। किसी भी अदालत/ फोरम/ कंपनी आदि द्वारा यदि मामले का निपटारा पहले ही किया जा चुका है, तो ऐसे मामलों को यहां निपटारे के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा।

लोक अदालत में, उपभोक्ता या तो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो सकते हैं या फिर, अपने वकील/ अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से भी ऐसा किया जा सकता है। इसके लिए उन्हें अपने दस्तखत व पहचान पत्र के साथ संबंधित व्यक्ति को अधिकृत करना होगा। पहचान पत्र और जुर्माने के बिल की कॉपी आवश्यक है।

पिछली चार लोक अदालतों में कुल 8 हजार मामलों का तत्काल निपटारा ऑन–द–स्पॉट किया गया। बीआरपीएल के एक अधिकारी के मुताबिक, पिछली लोक अदालतों की तरह इस बार भी कंपनी अपने उपभोक्ताओं से अच्छा रेस्पॉन्स मिलने की उम्मीद कर रही है। उपभोक्ताओं की सहूलियत के लिए कुल 12 अदालतें लगाई जाएंगी। ताकि उपभोक्ताओं को दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसके लिए 12 हेल्प डेस्क भी लगाए जा रहे हैं। इन हेल्प डेस्क्स पर पूरी तरह से प्रशिक्षित अधिकारियों को तैनात किया जा रहा है, ताकि एक–एक उपभोक्ता पर ध्यान देकर उन्हें तमाम सूचनाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

मामलों के निपटारे के बाद उपभोक्ताओं को जुर्माने के भुगतान के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। बीएसईएस एन्फोर्समेंट ऑफिस में जुर्माने की रकम जमा कराने के तुरंत बाद उपभोक्ताओं को नो ड्यूज सर्टिफिकेट भी दे दिए जाएंगे।

उपभोक्ताओं से लोक अदातल में पहुंचने की अपील करने के लिए बीआरपीएल ने उन्हें पत्र व नोटिस भेजे और साथ ही एफएम चैनलों पर भी सूचनाएं प्रसारित करवाई जा रही हैं।

यह लोक पूरी तरह से अदालत पेपरलेस होगी। 24 कंप्यूटरों के सहारे कामकाज को अंजाम दिया जाएगा और कागजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस पेपरलेस लोक अदालत में ए4 साइज के 30 हजार कागज–शीट्स की बचत होगी।

दिल्ली की प्रमुख बिजली वितरण कंपनियां बीआरपीएल और बीवाईपीएल अपने उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

.....